निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**8 आश्विन 1941 (श0)**
**(सं0 पटना 1125) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019**

**वाणिज्य-कर विभाग**

---

**अधिसूचना**
**30 सितम्बर 2019**

अधिसूचना संख्या 19/2019–राज्य कर (दर)

एस०ओ० 365, दिनांक 30 सितम्बर 2019––बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा उन सभी वस्तुओं पर, जिनकी आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) को उन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए की गई हो जो कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध की सूची में दी गई है, उस संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाया जा सकता है, बशर्ते कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा -

(i) ऐसी वस्तुओं की मात्रा एवं विवरण अभिप्रमाणित किया जाए; और
(ii) वह यह भी अभिप्रमाणित करे कि उक्त वस्तुओं का प्रयोग उक्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ही किया जाना है ।

अनुबंध

(1) पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणाली की क्षमता का संवर्द्धन,

(2) हरित कृषि: विश्व पर्यावरण के लाभ के लिए भारतीय कृषि में सुधार और संकटग्रस्त्र जैव विविधता और वन क्षेत्र का संरक्षण ।

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

[सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–7)–19]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 365, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–7)–19]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

*The 30th September 2019*

**Notification No. 19/2019- State Tax (Rate)**

S.O. 365 dated the 30th September 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts, all the goods supplied to the Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO)for execution of projects listed below in the Annexure, from whole of the State Tax leviable thereon under section 9 of the said Act, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare certifies, namely:-

(i) the quantity and description of the goods; and
(ii) that the said goods are intended for the purpose of use in execution of said projects.

***ANNEXURE***

(1) Strengthening Capacities for Nutrition-sensitive Agriculture and Food systems,
(2) Green Ag: Transforming Indian Agriculture for Global Environment benefits and the conservation of Critical Biodiversity and Forest landscape.

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)-19)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1125-571+10-डी0टी0पी0।
**Website:** http://egazette.bih.nic.in